उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1948

(05 अगस्त, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क' व 'ख')।

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

(2) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026

(3) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2026

(4) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2026

(5) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

(6) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026

(7) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026

(8) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2026

(9) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026

(10) रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026

(11) उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2026

3-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को सदन की मेज पर रखेंगे।

(सन्देश के लिए देखिये नत्थी 'ग')

4-मुख्य मंत्री, कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-5/2026/300/47-क-1-2026-13(5)/2021, दिनांक 18 मई, 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (बाइसवां संशोधन) विनियम, 2026 भारत का संविधान के अनुच्छेद-320 के खण्ड (5) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-78 की उपधारा (2) के अधीन उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 एवं 2022-23 को विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-180/ग्यारह-2-26-9(47)/17-टी0सी0-303-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (372)-2026, दिनांक 23 मई, 2026 को शुद्धि-पत्र संख्या-210/ग्यारह-2-26-9(47)/17-टी0सी0-304-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (373)-2026, दिनांक 15 जून, 2026 सहित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-283/ग्यारह-2-26-9(47)/17-टी0सी0-305-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (374)-2026, दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

8-ग्राम्य विकास मंत्री, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-डीएफए/1517518/38-6003(001)/1/2026, दिनांक 29 जून, 2026 द्वारा निर्गत विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारण्टी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) योजना,

उत्तर प्रदेश को अधिनियम, 2025 की धारा-35 की उपधारा (2) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

9-नेता सदन, संसदीय कार्य अनुभाग-2 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2026 (दिनांक 09 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक) में नियम-115 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-115 (4) के अनुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

10-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-06/2026/588/80-1-2026/80-1003(002)/2-2023, दिनांक 07 मई, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (उनतीसवां संशोधन) नियमावली, 2026 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-40 की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

11-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-07/2026/336/80-1-2026/80-1099/151-2021, दिनांक 05 जून, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (तीसवां संशोधन) नियमावली, 2026 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-40 की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

12-सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 द्वारा राज्य बाँध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 को बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा-45 की उपधारा (1) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

13-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1)(b) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

14-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड का इक्कीसवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन 2024-2025 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1)(b) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

15-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा अनुभाग-3 द्वारा यू0पी0 रिन्यूएबल एण्ड ई0वी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (b) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

16-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या-यूपीईआरसी/डी (टी एण्ड एस) जेडी (टी)/191-015, दिनांक 13 जनवरी, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण का बहुवर्षीय प्रशुल्क) (प्रथम संशोधन) विनियमावलियाँ, 2025 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

17-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या-यूपीईआरसी/सचिव/कार्मिक 2026-016, दिनांक 21 मई, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्मिकों की भर्ती, नियन्त्रण तथा सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2026 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

18-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ द्वारा यू0पी0एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(b) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

19-सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता अनुभाग-1 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम का स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 को दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

20-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-4/2026/82/तीस-4-2026-30-4099(099)/36-2025/1895274, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर यान (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2026 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-212 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

21-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-5/2026/470/तीस-4-2026-30-4099(099)/72-2021/1404987, दिनांक 22 मई, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर यान (तैंतीसवां संशोधन) (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली, 2026 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-212 की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

22-श्री सी0पी0 चन्द, सभापति, संसदीय एवं सामाजिक सद्‌भाव समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की संसदीय एवं सामाजिक सद्‌भाव समिति का वर्ष 2025-2026 का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

23-श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सभापति, आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की आश्वासन समिति का वर्ष 2020 से 2026 तक का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

24-श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का वर्ष 2022-2023 से 2025 2026 तक का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

25-श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का वर्ष 2025-2026 का राजस्व विभाग से सम्बन्धित छप्पनवां प्रतिवेदन, जो ''ग्राम-उचेठा, तहसील-औराई, जनपद-भदोही में अतिक्रमण हटाये जाने, ग्राम-पलिया, शम्भूपुर अठगांवां, तहसील-पिण्डरा, जनपद-वाराणसी के श्री मोहन पुत्र निखिद्‌दी, श्री दिनेश पुत्र पन्नालाल, श्री रमेश पुत्र जीतालाल तथा श्री राजेन्द्र पुत्र राम आसरे आदि पट्‌टादारों को कब्जा दिलाने, प्रार्थी श्री बुधिराम बिन्द पुत्र राम खेलावन, ग्राम-सरईराज पुतानी, तहसील-ज्ञानपुर, जनपद-भदोही की शिकायत पर अराजी नं0-401 व 399 से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने, प्रार्थी श्री बुधिराम बिन्द पुत्र राम खेलावन, ग्राम-सरईराज पुतानी, तहसील-ज्ञानपुर, जनपद-भदोही की शिकायत पर अराजी न0-402 से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी प्रकरण'' एवं ''प्रार्थिनी श्रीमती बासमती पत्नी श्री जयशंकर यादव, निवासिनी-रजईपुर, ग्राम सभा-जंगला, तहसील औराई, जनपद-भदोही सहित कुल 13 व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर पट्‌टा दिलाने व भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण'' पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

26-श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का वर्ष 2025-2026 का बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सत्तावनवां प्रतिवेदन, जो ''श्री मनीष कुमार निवासी जनपद

प्रतापगढ़ को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति दिलाये जाने सम्बन्धी प्रकरण'' एवं ''श्रीमती पुष्पलता वर्मा, प्रधान शिक्षिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुईथर (बिछिया), जनपद-उन्नाव को बी0आर0सी0 श्री राघवेन्द्र सिंह यादव द्वारा मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण'' पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

27-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत-मैलानी के समग्र विकास एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने हेतु रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकांत महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं मेरठ के आटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेन्टरों में वाहन मालिकों से अवैध वसूली के सम्बन्ध में श्री मोहित बेनीवाल व श्री अरूण पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

29-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल (सीनियर सिटीजन) कराने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री कुंवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

30-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-महोबा मुख्यालय में कम से कम 04 सिटी बसों (सी0एन0जी0/ए0सी0) का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर व श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

31-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद सीतापुर के बस स्टैण्ड को जिला मुख्यालय के निकट स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

32-डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत नगर पालिका, जनपद-झांसी के निवासियों की

ओर से बरूआसागर में स्थित स्वर्गाश्रम झरना के सौन्दर्यीकरण एवं अतिथि गृह का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

33-डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत वार्ड नम्बर-31, नगर निगम, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से भारत रत्न मेजर ध्यानचन्द्र की प्रतिमा तक मार्ग पर सीढ़ियों व टीनशेड का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

34-श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत औरंगाबाद जागीर, निकट अवध रेजीडेंसी, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

35-श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बरदहा, मजरे पचीसा, ब्लाक-बीघापुर, जनपद-उन्नाव के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

36-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पड़रिया तुला, विकास खण्ड-बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से नये पावर हाउस का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

37-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-केसरीगंज (रायपुरगंज), ब्लाक-लहरपुर, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

38-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कंडारी सलारपुर, विकास खण्ड-पहला, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ञ')

39-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम जसवन्तपुर, ग्राम पंचायत-सुजौलिया, विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ट')

40-श्री कुंवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नवदिया कल्याणपुर, मजरे मडैइयन, विकास खण्ड-फरीदपुर, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ठ')

41-श्री कुंवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रिछा, विकास खण्ड-भुता, जनपद-बरेली के निवासियों की ओर से बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ड')

42-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-भुचेरा मण्डल पूराकला, विकास खण्ड-तालबेहट, जनपद-ललितपुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ढ')

43-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-ऐवनी, विकास खण्ड-तालबेहट,

जनपद-ललितपुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ण')

44-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-टेगनहवा, विकास खण्ड-गैसड़ी, जनपद-बलरामपुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'त')

45-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सीता विहार, नहर रोड, जनकीपुरम विस्तार, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'थ')

46-श्री राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत कश्मीरी मोहल्ला, वार्ड नम्बर-105, नूरबाड़ी, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'द')

47-अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि-

"(1) मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, [भारत का संविधान] के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के संदेश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाय।

(2) मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

48–मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

49–मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

50–मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

51–मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

52–मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

53–मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

54–मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

55–मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

56–उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

57–उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

58–उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

59–उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

60–उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

61–उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

62–उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

63–उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

64–स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

65–स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

66–स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रस्ताव करेंगे कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

67–स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रस्ताव करेंगे कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

68–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

69–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2026, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

70-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा।

लखनऊ :

बुधवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1948

(05 अगस्त, 2026)

आज्ञा से,

डा0 राजेश सिंह,

प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
**1	28-7-2026

नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 5 अगस्त, सन् 2026 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद-प्रयागराज में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

**1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-प्रयागराज के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2026 जोकि मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) क्या उक्त पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय से सी0बी0-00070656121 द्वारा उक्त पत्र को जिलाधिकारी, प्रयागराज को विशेष सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा अग्रसारित किया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न नवयुवकों के प्रार्थना-पत्र में रोजगार दिलाये जाने हेतु क्या-क्या अनुरोध/शिकायतें की गयी हैं और क्या उनको किसी प्रकार का कोई रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

5 अगस्त, 2026 **विधान परिषद् के तृतीय सत्र (2026) का प्रथम बुधवार**

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	13-4-2026
*2	13-4-2026
*3	12-6-2026
*4	12-6-2026
*5	23-6-2026
*6	28-6-2026

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	13-4-2026
2	13-4-2026
3	13-4-2026
4	15-4-2026
5	15-4-2026
6	28-4-2026
7	28-4-2026
8	1-6-2026
9	1-6-2026
10	1-6-2026
11	23-6-2026
12	23-6-2026
13	23-6-2026
14	23-6-2026
15	23-6-2026
16	23-6-2026
17	23-6-2026
18	23-6-2026
19	23-6-2026
20	23-6-2026
21	24-6-2026

नत्थी ‘ख’

बुधवार, दिनांक 5 अगस्त, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

इजराइल और ईरान व अन्य खाड़ी देशों में फंसे श्रमिकों की सुरक्षित वापसी व अन्य के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 1 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण उत्तर प्रदेश के श्रमिक विभिन्न देशों में फंसे हुए हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश के कितने श्रमिक वर्तमान में इजराइल, ईरान तथा अन्य खाड़ी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान एवं बहरीन में फंसे हुए हैं, उनका विवरण क्या है ?

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसे श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हेतु भारत सरकार के साथ कोई समन्वित कार्य योजना बनाई गई है ?

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

(ङ) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रभावित श्रमिकों एवं उनके परिजनों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, हेल्पलाइन या आपात सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ?

(च) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले शिक्षित नवयुवकों को नियमित/सरकारी नौकरी पाने वाले छात्रों के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 2 | श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*2-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में श्रम विभाग का वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में बजट आवंटन क्या था और लक्ष्य के सापेक्ष कितना-कितना व्यय हुआ है ?

(ख) क्या श्रम विभाग में दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 25 मार्च, 2026 के मध्य पंजीकरण कराने वाले शिक्षित नवयुवकों को नियमित/सरकारी नौकरी भी प्राप्त हुई है या रोजगार के नाम पर उनको रोजगार मेला के तहत ही दो-चार माह का ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता रहा है ?

(ग) उक्त अवधि में पंजीकरण कराने वाले नियमित/सरकारी नौकरी पाने वाले छात्रों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

सिग्मा हॉस्पिटल ट्रामा सेन्टर अस्पताल, मोहनलालगंज के कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता आदि के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 3 | श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*3-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि सिग्मा हॉस्पिटल ट्रामा सेन्टर अस्पताल, मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है ?

(ख) क्या उक्त अस्पताल के कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ते सहित दिया जा रहा है ?

(ग) क्या उक्त अस्पताल के कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधायें यथा साप्ताहिक अवकाश व अन्य अवकाश, पी0एफ0, ग्रेच्युटी आदि की सुविधायें मिल रही हैं ?

(घ) यदि हाँ, तो कब से ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुल यादव 4

*4-[अन्तरित]

वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डलों में कारागारों के लिये सरकार द्वारा क्रय की गई एम्बुलेंस के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
5

*5-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डलों में स्थित कारागारों के लिए सरकार द्वारा एम्बुलेंस क्रय की गई है ?

कारागार मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त एम्बुलेंस कब-कब खरीदी गई, उनका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) नम्बर क्या है तथा उनके लिए नियुक्त चालकों का विवरण क्या है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में स्कूल बसों/विद्यालयी वाहनों के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
6

*6-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में स्कूल बसों/विद्यालयी वाहनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है ?

परिवहन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या स्कूल बस/वाहन सीमित अवधि में (औसतन प्रतिदिन 2 घण्टे तथा वर्ष में सीमित कार्य दिवस) ही संचालित होते हैं, जबकि सामान्य यात्री बसें प्रतिदिन लम्बी दूरी एवं अधिक समय तक संचालित होती हैं ?

(ग) क्या स्कूल बसों/विद्यालयी वाहनों की उपयोगिता, सीमित संचालन, रख-रखाव की स्थिति तथा जनहित (विशेषकर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर आर्थिक भार) को दृष्टिगत रखते हुए इनकी आयु सीमा में वृद्धि करने पर विचार करेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो स्कूल बसों/वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष से बढ़ाकर अधिक अवधि (जैसे 40 वर्ष अथवा उपयुक्त सीमा) निर्धारित किए जाने की क्या कार्य योजना एवं सम्भावित समय-सीमा है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री अशोक अग्रवाल
1

1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मार्च, 2026 जो परिवहन मंत्री एवं प्रमुख सचिव, परिवहन, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित लखनऊ से

परिवहन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

सण्डीला-भजेलहटा तिराहा होते हुए समुखा-कुरसठ-माधौगंज-बिलग्राम (जनपद-हरदोई) तक जाने व वापस आने हेतु ग्रामीण बस सेवा संचालित किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा जनहित में ग्रामीण परिवहन बस सेवा का संचालन करा दिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो समय-सारिणी क्या निर्धारित की गई है ?

(घ) यदि नहीं, तो ग्रामीण जनता की कठिनाइयों को देखते हुए कब तक परिवहन विभाग द्वारा बस संचालन करायेंगे ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता
2

2-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत-मैलानी में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाये जाने तथा नगर पंचायत मैलानी से लखीमपुर, पलिया एवं शाहजहाँपुर के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रदान कराये जाने हेतु पूर्व में प्रश्नकर्ता द्वारा आपको सम्बोधित पत्र सं0-187/BJPUP/2025, दिनांक 20-05-2025 के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त नगर पंचायत मैलानी में रोडवेज बस स्टैण्ड एवं नगर पंचायत मैलानी से लखीमपुर, पलिया एवं शाहजहाँपुर के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रदान करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव
3

3-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के शिक्षित नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2026, जो कि आपको सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे और उक्त पत्र में उल्लिखित नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध करा दिये गये हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरण पाल कश्यप 4	4-[अन्तरित]	
डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि पत्रांक संख्या-1057/ने0वि0द0/वि0प0, दिनांक 13 मार्च, 2026 कुदरत विहार, हाइडिल गेट, तहसील-सरोजनीनगर, जनपद-लखनऊ के मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या उक्त मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करा दी गयी है ? (घ) यदि हाँ, तो कब ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 6	6-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में सिधौली से नैमिषारण्य मार्ग से डेंगरा-धवरपारा सम्पर्क मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग में कमलापुर से जुड़ती है, पर आवागमन के साधन न होने से ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त मार्ग पर ग्रामीण बस सेवा का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री आशुतोष सिन्हा 7	7-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, विन्ध्याचल तथा आजमगढ़ मण्डल में मुख्य मंत्री जनता सेवा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितनी बसें संचालित की जा रही हैं ? (ख) क्या उक्त बसों की संख्या जनपदवार उपलब्ध है ? (ग) वर्ष 2011 के पूर्व परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत बसों की कुल संख्या कितनी है तथा उसका जनपदवार विवरण उपलब्ध है ? (घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण जनपदवार सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री पवन कुमार सिंह 8	8-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर मथुरा के निवासियों को जिला मुख्यालय जाने हेतु परिवहन सुविधा का अभाव होने से जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 9	9-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेण्डी हेतु परिवहन सुविधाओं का अभाव होने के कारण जनमानस को जनपद मुख्यालय पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 10	10-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पिसावां के निवासियों को जिला मुख्यालय जाने हेतु परिवहन सुविधा का अभाव होने के कारण जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 11	11-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के सरैयां में बस अड्डा न होने से यात्रियों को सड़क के किनारे इन्तजार करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु बस स्टेशन का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 12	12-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के रेउसा में बस अड्डा न होने से यात्रियों को सड़क के किनारे इन्तजार करना पड़ता है ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

	(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु बस स्टेशन का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री पवन कुमार सिंह 13	13-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के सिधौली में मनवा चौकी से अतरौली मार्ग पर परिवहन के साधन न होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु बस का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 14	14-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि तहसील-महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर में कितने व्यक्तियों ने ई-श्रम कार्ड हेतु आवेदन किये हैं ? (ख) आवेदित ई-श्रम कार्ड धारकों के खातों में कितनी-कितनी धनराशि भेजी जा रही है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 15	15-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि तहसील-बिसवां, जनपद-सीतापुर में कितने व्यक्तियों ने ई-श्रम कार्ड हेतु आवेदन किये हैं ? (ख) आवेदित ई-श्रम कार्ड धारकों के खातों में कितनी-कितनी धनराशि भेजी जा रही है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 16	16-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि विकास खण्ड-मछरेहटा, जनपद सीतापुर में कितने व्यक्तियों ने ई-श्रम कार्ड हेतु आवेदन किये हैं ? (ख) आवेदित ई-श्रम कार्ड धारकों के खातों में कितनी-कितनी धनराशि भेजी जा रही है ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

	(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री पवन कुमार सिंह 17	17-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि तहसील-बिसवां, जनपद-सीतापुर में कितने श्रमिकों के बच्चों ने शिक्षा एवं मेधावी छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन किये हैं ? (ख) क्या आवेदित छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी जा रही है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 18	18-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में पंजीकृत श्रमिकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ दिया जा रहा है ? (ख) क्या पंजीकृत श्रमिकों की गम्भीर बीमारियों का इलाज कैशलेस किया जा रहा है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 19	19-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में लहरपुर से हरगांव-लखीमपुर मार्ग पर परिवहन के साधन न होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु बस का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 20	20-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में पंजीकृत श्रमिकों द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत आवेदन किये गये हैं ? (ख) क्या आवेदित श्रमिकों को कन्या विवाह सहायता धनराशि भेजी जा रही है ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ग) यदि हाँ, तो क्या लाभार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 21

21- [विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नत्थी 'ग'

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

जन भवन
लखनऊ - 226 027

दिनांक : जून 10, 2026

सन्देश

चूँकि, उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 राज्य विधान मण्डल से पारित कराये जाने के उपरान्त उसे राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ आरक्षित कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा गया था,

और, चूँकि, उक्त विधेयक के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कतिपय सम्वीक्षा करते हुए उसे वापस लिये जाने का सुझाव दिया गया है,

और, चूँकि, भारत सरकार के उक्त सुझाव के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को भारत सरकार से वापस लिये जाने का विनिश्चय मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा किया जा चुका है जिसके लिए यह आवश्यक है कि उक्त विधेयक, 2016 को भारत सरकार से वापस लिये जाने की वाँछनीयता पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा यथोचित समय पर पुनर्विचार किया जाये,

अतएव मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन उक्त विधेयक की मूल पार्चमेण्ट प्रतियाँ सदन को वापस करते हुए यह सन्देश देती हूँ कि उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को वापस लिए जाने की वाँछनीयता पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदन यथोचित समय पर पुनर्विचार करें।

आनंदीबेन पटेल

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद- झाँसी के नगर पालिका के अन्तर्गत बरुआसागर में स्थित स्वर्गाश्रम झरना के सौन्दर्यीकरण एवं अतिथि गृह बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि जनपद-झाँसी के नगर पालिका के अन्तर्गत बरुआसागर में स्थित स्वर्गाश्रम झरना के सौन्दर्यीकरण एवं अतिथि गृह जनहित में बनवाया जाना अति आवश्यक है। सौन्दर्यीकरण एवं अतिथि गृह निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-झाँसी के नगर पालिका के अन्तर्गत बरुआसागर में स्थित स्वर्गाश्रम झरना के सौन्दर्यीकरण एवं अतिथि गृह का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद झाँसी में वार्ड नं0-31 नगर निगम में पहाड़ी पर स्थित भारत रत्न मेजर ध्यानचन्द्र जी की प्रतिमा तक के मार्ग पर सीढ़ियों व छाया हेतु टीनशेड एवं सौन्दर्यीकरण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि जनपद-झाँसी में वार्ड नं0-31 नगर निगम में पहाड़ी पर स्थित भारत रत्न मेजर ध्यानचन्द्र जी की प्रतिमा तक के मार्ग पर सीढ़ियों व छाया हेतु टीनशेड एवं सौन्दर्यीकरण कार्य करवाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-झाँसी में वार्ड नं0-31, नगर निगम में पहाड़ी पर स्थित भारत रत्न मेजर ध्यानचन्द्र जी की प्रतिमा तक के मार्ग पर सीढ़ियों व छाया हेतु टीनशेड एवं सौन्दर्यीकरण का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के औरंगाबाद जागीर, नियर अवध रेजीडेंसी स्थित श्री वीरेन्द्र चौधरी व आयुष त्रिपाठी के मकान से ओम प्रकाश सिन्हा व आर0 के0 तिवारी के मकान तक लगभग 250 मी0 कच्चे मार्ग का सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि जनपद-लखनऊ के औरंगाबाद जागीर, नियर अवध रेजीडेंसी स्थित श्री वीरेन्द्र चौधरी व आयुष त्रिपाठी के मकान से ओम प्रकाश सिन्हा व आर0 के0 तिवारी के मकान तक लगभग 250 मी0 कच्चे मार्ग का सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में होने के कारण मोहल्लेवासियों को काफी परेशानियों/कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो बरसात के दिनों में सड़क पर गन्दा पानी भरा रहने के कारण छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में एवं इससे तरह-तरह की बीमारियों के फैलने का निरन्तर खतरा बना रहता है, जिसके कारण आवागमन में भारी असुविधा होती है। जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद लखनऊ के औरंगाबाद जागीर, नियर अवध रेजीडेंसी स्थित श्री वीरेन्द्र चौधरी व आयुष त्रिपाठी के मकान से ओम प्रकाश सिन्हा व आर0 के0 तिवारी के मकान तक लगभग 250 मी0 कच्चे मार्ग का सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-उन्नाव, ब्लॉक-बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरदहा के मजरे पचीसा इन्दामऊ-उमाखेड़ा मार्ग से सन्त प्रसाद के आवास तक लगभग 300 मी0 इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि जनपद-उन्नाव, ब्लॉक-बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरदहा के मजरे पचीसा इन्दामऊ-उमाखेड़ा मार्ग से सन्त प्रसाद के आवास तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-उन्नाव, ब्लॉक-बीघापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरदहा के मजरे पचीसा इन्दामऊ-उमाखेड़ा मार्ग से सन्त प्रसाद के आवास तक लगभग 300 मी0 इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-बिजुआ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया तुला में नया पावर हाउस बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-बिजुआ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया तुला में नया पावर हाउस बनवाया जाना अति आवश्यक है। बिजली पोल एवं तार बहुत पुराने व जर्जर हैं, जिस कारण पड़रिया तुला क्षेत्र में बिजली सप्लाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-बिजुआ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया तुला में नया पावर हाउस का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर के ब्लॉक लहरपुर की ग्राम सभा केसरीगंज (रायपुरगंज) में गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग पर गुप्ता जनरल स्टोर से ओम कश्यप के मकान तक लगभग 300 मी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि जनपद सीतापुर के ब्लॉक लहरपुर की ग्राम सभा केसरीगंज (रायपुरगंज) में गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग पर गुप्ता जनरल स्टोर से ओम कश्यप के मकान तक लगभग 300 मी0 सड़क व नाली का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। जिसपे ग्राम की 80 प्रतिशत आबादी का आना जाना प्रतिदिन होता है आज से करीबन 10 वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराया गया जो धीरे-धीरे अति जर्जर हो बड़े-बड़े गड्डों और जलभराव के चलते रोज हादसे होते रहते है इसी मार्ग पर सैकड़ों वर्ष पुराना शिव मन्दिर भी स्थित है जहां प्रतिदिन सैकड़ों भक्त जलाअभिषेक कराने आते है बरसात में जल भराव भक्तों व राहगीरों को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है जनपद सीतापुर के ब्लॉक लहरपुर की ग्राम सभा केसरीगंज (रायपुरगंज) में गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग पर गुप्ता जनरल स्टोर से ओम कश्यप के मकान तक लगभग 300 मी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ञ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कंडारी सलारपुर में डामर रोड से गुलौली सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत कंडारी विकास खण्ड पहला जनपद सीतापुर के निवासी हैं। सलारपुर डामर रोड से गुलौली सम्पर्क मार्ग तक लगभग 350 मीटर का रास्ता अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं। उक्त मार्ग पर वर्ष भर पानी भरा रहता है, विशेषकर बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक खराब हो जाती हैं, जिससे ग्रामीणों तथा वाहनों का निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि ग्रामवासियों की जनहित की समस्या को ध्यान में रखते हुए सलारपुर डामररोड से गुलौली सम्पर्क मार्ग तक 350 मीटर आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने की कृपा करें, जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त हो सके और जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। कार्य हेतु जनपद स्तर पर धन उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ट'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर विकास खण्ड-कसमण्डा, ग्राम पंचायत-सुजौलिया ग्राम जसवन्तपुर में इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम जसवन्तपुर, ग्राम पंचायत सुजौलिया, विकास खण्ड-कसमण्डा जनपद सीतापुर के निवासीगण हैं। हमारे ग्राम में अशोक कुमार के घर से राम कुमार के घर तक लगभग 100 मीटर का रास्ता अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग पर वर्ष भर पानी भरा रहता है, विशेषकर बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, जिससे पैदल चलना, बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं का आवागमन तथा दुपहिया वाहनों का निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। जिससे ग्रामीणों तथा वाहनों का निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड-कसमण्डा, ग्राम पंचायत- सुजौलिया ग्राम जसवन्तपुर में इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 सड़क लगभग 100 मीटर निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ठ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बरेली, विकास खण्ड-फरीदपुर, ग्राम पंचायत-नवदिया कल्याणपुर में मजरे मडैइयन से पश्चिम अमर सिंह के बाग से ग्राम मोहनपुर तालाब तक लगभग 02.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम सभी ग्रामवासी जनपद-बरेली, विकास खण्ड-फरीदपुर, ग्राम पंचायत-नवदिया कल्याणपुर में मजरे मडैइयन से पश्चिम अमर सिंह के बाग से ग्राम मोहनपुर तालाब तक लगभग 02.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है पिछले कई वर्षों से कोई मरम्मत कार्य इस मार्ग का नहीं हुआ है। जिसके कारण ग्रामवासियों को आवागमन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं बरसात के समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते है कि जनपद-बरेली, विकास खण्ड-फरीदपुर, ग्राम पंचायत-नवदिया कल्याणपुर में मजरे मडैइयन से पश्चिम अमर सिंह के बाग से ग्राम मोहनपुर तालाब तक लगभग 02.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बरेली, विकास खण्ड-भुता, ग्राम पंचायत-रिछा में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम सभी ग्रामवासी जनपद-बरेली, विकास खण्ड-भुता, ग्राम पंचायत रिछा में बारात घर बनाये जाने एक बारात घर न होने के कारण ग्रामवासियों को खेतों में बारात को रोकने की व्यवस्था करनी होती है। जिससे बारात घर रोकने में असुविधा होती है। जिसकी गाटा संख्या-163, रकबा 0.089 है। जबकि जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते है कि जनपद-बरेली, विकास खण्ड-भुता, ग्राम पंचायत-रिछा में बारात घर का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ढ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-तालबेहट, ग्राम पंचायत-भुचेरा मण्डल पूराकलां में माता मन्दिर से कन्या प्रा0वि0 की ओर सड़क का लगभग 600 मी0 सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम सभी ग्रामवासी जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-तालबेहट, ग्राम पंचायत-मण्डल पूराकलां में सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। सड़क की स्थिति अत्यन्त खराब व कच्चा रास्ता होने के कारण बच्चे स्कूल आने-जाने में ग्रामीणों को मन्दिर जाने में काफी समस्या होती है, जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-तालबेहट, ग्राम पंचायत-भुचेरा मण्डल पूराकलां में माता मन्दिर से कन्या प्रा0वि0 की ओर लगभग 600 मी0 सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ण'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-तालबेहट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-ऐवनी में माता मन्दिर से दरऊ अहिरवार के मकान की ओर से लगभग 400 मी0 सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम सभी ग्रामवासी जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-तालबेहट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऐवनी में माता मन्दिर से दरऊ अहिरवार के मकान की ओर से लगभग 400 मी0 सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। सड़क की स्थिति अत्यन्त खराब व आने-जाने में काफी समस्या होती है, जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते है कि जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-तालबेहट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऐवनी में माता मन्दिर से दरऊ अहिरवार के मकान की ओर से लगभग 400 मी0 सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'त'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-गैसड़ी के बिजुलिया व टेगनहवा सरहद से टेगनहवा ग्राम सभा में दीपलाल यादव व संतोष सिंह के दुकान से अरूण प्रताप सिंह के घर तक सड़क लगभग 600 मीटर सी0सी0/डामरीकरण रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम सभी जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-गैसड़ी के बिजुलिया व टेगनहवा सरहद से टेगनहवा ग्राम सभा में दीपलाल यादव व संतोष सिंह के दुकान से अरूण प्रताप सिंह के घर

तक सड़क लगभग 600 मीटर सी0सी0/डामरीकरण रोड का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। सड़क न होने के कारण आम जनमानस को आने-जाने में काफी समस्या होती है तथा आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-गैसड़ी के बिजुलिया व टेगनहवा सरहद से टेगनहवा ग्राम सभा में दीपलाल यादव व संतोष सिंह के दुकान से अरूण प्रताप सिंह के घर तक सड़क लगभग 600 मीटर सी0सी0/डामरीकरण रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'थ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार, सीतापुर विहार में सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम सभी जनपद-लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार, सीतापुर विहार में सड़क का डामरीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। जानकीपुरम् विस्तार, सीता विहार, नगर रोड में स्थित मकराना मार्बल के बगल से जा रही सड़क के निवासी हैं। यह मार्ग आगे के मोहल्ले को जोड़ता है, इस मार्ग पर बायीं ओर पहला मकान श्री अर्जुन सिंह कलहंस पता प्लाट नं0-3, खसरा संख्या-528, सीता विहार नहर रोड, जानकीपुरम्-3, लखनऊ तथा दायी तरफ पहला मकान श्री मनीष शुक्ला से श्री मुकेश, प्लाट नं0-3, खसरा-518, सीता बिहार कालोनी, मड़ियाव, जानकीपुरम-3 तक लगभग 500 मीटर सड़क का कार्य करवाया जाना है। सड़क न होने के कारण आमजनमानस को आने-जाने में काफी समस्या होती है, तथा आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरसात के दिनों में सड़क की स्थिति खराब रहती है। जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार, सीतापुर विहार में सड़क के डामरीकरण रोड लगभग 500 मीटर का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'द'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत स्थित कश्मीरी मोहल्ला, वार्ड नं0-105 में नूरबाड़ी में राजू के मकान से विनय जैन के मकान तक एवं नजफ रोड शिवालय से संजय की फैक्ट्री तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम सभी जनपद लखनऊ के अन्तर्गत स्थित कश्मीरी मोहल्ला, वार्ड नं0-105 में नूरबाड़ी में राजू के मकान से विनय जैन के मकान तक एवं नजफ रोड शिवालय से संजय की फैक्ट्री तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। सड़क व नाली न होने के कारण आमजनमानस को आने-जाने में काफी समस्या होती है तथा आये दिन दुर्घटना होती रहती है। जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः हम प्रार्थीगण माननीय सदन से विनम्र अनुरोध करते है कि जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत स्थित कश्मीरी मोहल्ला, वार्ड नं0-105 में नूरबाड़ी में राजू के मकान से विनय जैन के मकान तक एवं नजफ रोड शिवालय से संजय की फैक्ट्री तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।